

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

GM² 13/2/12
CPO
RBE No. 11 /2012
dated 20.1.2012

No.E (MPP)/2010/3/65

New Delhi, dated 20.1.2012

The General Manager,
All Indian Railways.

The Director,
IRITM/Lucknow.
JR RPF Academy, Lucknow.

The Director General,
Railway Staff College, Vododara.



Sub: Disaster Management Training.

In continuation of instructions issued vide this office letter No.E(MPP)2009/3/1 dated 20.1.2009 (RBE No.86/2009) on the above subject, it has been decided that one day course on "Threat Perception & Emergency Response" as per the following schedule may be included in the contents of training module prescribed for railway staff involved in train operation (crew/Guard/SM/Controller/Gangmen/TTE/AC Staff) at Annx.5 & Annx.6 of the said letter:

SESSIONS

1 st period (01.45 hrs.)	2 nd period (01.45 hrs.)	3 rd period (01.45 hrs.)	4 th period (01.45 hrs.)
a) Introduction to Explosives b) Explosives targeted to railways c) Explosive Cycle d) Frictions & effects of Bomb. e) Identification of Bomb. f) Initiating Mechanism.	a) Bomb threat call. b) Questioning Technique. c) Duties of call-receiver. d) Procedure of receiving call. e) Dos & DON'Ts on Threat perception & Emergency response. f) Search Procedure. g) Detection of suspicious articles & action thereto. h) Protective equipments i) Investigation procedure	a) Post Disaster Management. (i) Roles of On-Board Staff vehicles(s) & Track Protection. (ii) Relay of information. (iii) Dealing with Media People. b) Preservation of clues/Tangible Authorities. c) Concept of Golden Hour.	First-Aid, Medical Care & Trauma Management.

However, it may be ensured that the period of training remains unchanged.

(ANIL WASON)
Dy. Director (MPP)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई/सं. 11/2012

सं. ई (एमपीपी) /2010/3/65

नई दिल्ली, दिनांक: 20.01.2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

निदेशक,
इरिटेम/लखनऊ.
जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ.

महानिदेशक,
रेल स्टाफ कालेज, वड़ोदरा.


विषय: आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण।

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 20.01.2009 के पत्र सं.ई (एमपीपी) 2009/3/1 (आरबीई सं. 86/2009) के तहत जारी अनुदेशों के क्रम में यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त पत्र के अनुलग्नक 5 एवं अनुलग्नक 6 पर उल्लिखित गाड़ी परिचालन (क्रू/गार्ड/स्टेशन मास्टर/कंट्रोलर/गैंगमैन/टीटीई/एसी स्टाफ) के कार्य में जुटे रेलवे कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण माड्यूल की विषय-सूची में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार “थ्रेट पर्सेप्शन एंड एमरजेंसी रिस्पॉस (खतरे की संभावना एवं आपातकालीन कार्रवाई)” पर एक दिवसीय पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए:-

सत्र

पहला पीरियड (01.45बजे)	दूसरा पीरियड (01.45बजे)	तीसरा पीरियड (01.45बजे)	चौथा पीरियड (01.45बजे)
(ए) विस्फोटक संबंधी जानकारी देना (बी) रेलों को लक्ष्य बनाने वाले विस्फोटकों की जानकारी देना (सी) विस्फोटक साइकिल (डी) बम के फ्रिक्शन एवं प्रभाव (ई) बम की पहचान करना (एफ) इस तंत्र को प्रारंभ करना	(ए) बम थ्रेट कॉल (बी) पूछताछ की तकनीक (सी) कॉल रिसीवर की ड्यूटी (डी) कॉल रिसीव करने की प्रक्रिया (ई) थ्रेट पर्सेप्शन एवं इमरजेंसी रिस्पॉस पर क्या करें एवं क्या न करें संबंधी जानकारी (एफ) सर्च प्रक्रिया (जी) संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाना एवं इस पर कार्रवाई करना (एच) रक्षात्मक उपकरण (आई) जांच प्रक्रिया	(क) आपदा प्रबंधन के बाद: (i) ऑन- बोर्ड स्टाफ की भूमिका, वाहन एवं ट्रैक की सुरक्षा (ii) सूचना रिले करना (iii) मीडिया के लोगों के साथ डील करना (ख) सुराग/मूर्त प्राधिकारों को संरक्षित करना (ग) गोल्डन आवर की संकल्पना	प्राथमिक चिकित्सा, मेडिकल केयर एवं ट्रॉमा प्रबंधन

बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण की अवधि अपरिवर्तित रहेगी।



(अनिल वासन)

उप निदेशक (एमपीपी)/रेलवे बोर्ड.